उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक – 01.04.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक- 01.04.2025 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

थाना खन्ना पुलिस टीम ने अवैध देशी शराब के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार –

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों को शान्तिपूर्ण माहौल में सकुशल सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक-31.03.2025 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 चेतराम के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास कि सूचना पर 01 नफर अभियुक्त राजकुमार पुत्र रजोला प्रजापति उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम सिरसीकला थाना खन्ना जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 झोले मे 15 अदद क्वाटर देशी शराब नाजायज बरामद करते हुए ग्राम सिरसीकला के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 38/25 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त-

राजकुमार पुत्र रजोला प्रजापति उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम सिरसीकला थाना खन्ना जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 चेतराम
2. हे0का0 बृजेन्द्र सिंह भदौरिया

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक – 01.04.2025

महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

परिवहन विभाग व यातायात पुलिस की संयुक्त कार्यवाही जनपद में बिना सत्यापन कराये व अवैध रुप से संचालित ई-रिक्शा चालकों के विरुद्ध कार्यवाही में 02 ई-रिक्शा सीज व 13 का हुआ चालान...।

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में आज दिनांक-01.04.2025 को एआरटीओ महोबा श्री दयाशंकर के नेतृत्व में परिवहन विभाग व प्रभारी यातायात पुलिस महोबा श्री सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में जनपदीय यातायात पुलिस टीम ने जनपद में बिना सत्यापन कराये व अवैध रुप से संचालित ई-रिक्शा के विरुद्ध परिवहन विभाग से साथ संयुक्त अभियान चलाकर नगर क्षेत्र में ई रिक्शा रोककर चेकिंग की गई एवं गलत पाए जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार प्रवर्तन की कार्यवाही की गई है, इस संयुक्त कार्यवाही के दौरान 02 ई-रिक्शा को सीज किया गया है साथ ही 13 ई-रिक्शों का चालान किया गया है।

उल्लेखनीय है कि जनपद महोबा में आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी रोकथाम लगाये जाने के उद्देश्य से जनपद में संचालित ई-रिक्शों के सत्यापन की प्रक्रिया प्रचलित है, जिससे जनपदवासियों को सफर के दौरान सुरक्षित परिवेश की अनुभूति करायी जा सके।

सभी ई-रिक्शा चालकों से पुनः अनुरोध/अपील है कि वह अपने अपने-अपने रिक्शे का सत्यापन कराना सुनिश्चित करें अन्यथा बिना सत्यापन के रिक्शा पाए जाने पर नियमानुसार वाहन सीज की कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।